

22-12-2020

इकफाही पेशी दी जाने पर फावली आप पेशी
हुई। पुकरण में बार-बार आवाजे लगावारी गयी
बावजूद आवाज लगाने वसील वारी अथवा पसतरा
में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः
कार्यवाही पुकरा अदत हाजिरी एवं अदम पैखी में
खारिज किया जात है। फावली फेजल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील गरिफल स्पष्ट
हो। निर्णय रकुले न्यायालय में सुनाया गया।



22/12/2020
(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) खण्डला